

ग्रामीण सेवा शिविर-2025





स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -दोवनी.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 389/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25

रिपोर्ट

क्र.स..	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दोवनी	84	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलीदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्रामदोवनी..... प.ह..... दोवनी..... खातासं 84..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर प्रिन्सदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन		
	 02/10/25	 02-10-25	 तहसीलदार कपासन जिला-चितौडगाढ (राज.)	 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौडगाढ		

पदस्थ अधिकारी
कपासन जिला-चितौडगाढ